

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

बमुकद में ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

गैटासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 461/2025

वाद पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.



1. जसवीर सिंह पुत्र गुरजण्ट सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया।
2. रणजीत कौर पत्नी जसवीर सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया।
3. जगसीर सिंह पुत्र जगतार सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया।

बनाम्

1. अर्जन पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया।
2. गुरदयाल सिंह पुत्र विचित्र सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया।
3. चतरू पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. छोटी पुत्री विचित्र सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया।
5. बलवीर सिंह पुत्र गुजर सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया।
6. मखन सिंह पुत्र विचित्र सिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया।
7. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- 18.3.2026

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्ध वकील वादी मिन जामिन मुदई ..... मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 18 एएमपी

1. जगसीर सिंह पुत्र जगतार सिंह जाति जटसिख सा.शाहपीनी प.न. 125/159 मु.न. 20 किला नम्बर 16/1/0.228 है. 16/2/0.025 है. गै.मु.खाला
2. रणजीत कौर पत्नी जसवीर सिंह जाति जटसिख सा.शाहपीनी प.न. 125/159 मु.न. 20 किला नम्बर 17/0.253 है.
3. जसवीर सिंह पुत्र गुरजण्ट सिंह जाति जटसिख सा.शाहपीनी प.न. 125/159 मु.न. 20 किला नम्बर 25/1/0.228 है. 25/2/0.025 है. गै.मु.खाला

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंसा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/993 दिनांक 26.02.2026 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....मुब्लिक.....बाबत.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18.3.2026 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया